

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./ए/संवि./5/2009/546

भोपाल, दिनांक - 24.8.09

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विद्यमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आई.डी. क्रमांक	संस्था/जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती सरोज कुजूर सहायक अध्यापक शास.प्रा.वि.सेहवई जिला ग्वालियर	AK6336	23040207801	जनपद पंचायत भित्तवार जिला ग्वालियर जा.क्र. निरंक दि. 25.2.09	जनपद पंचायत मुरैदा जिला मुरैदा जा.क्र. 809 दि. 18.3.09 शास.प्रा.वि. ग्वालियर	23020315203


संविलियन की शर्तें -

1. वह संविलियन तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय से संविलियन के लिए मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उही वर्ग एवं उही दिनांक तथा वेतनमान के पद ही उपलब्धता होने पर ही संविलियन के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जाएगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यनुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।




9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्वधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


 उप संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक - 24.8.09

पृ./क्र०/श.क./ए/सवि./5./2009/547
 प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु ।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


 उप संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं/अध्या.संवर्ग/ए/संवि/03/2009/548

भोपाल, दिनांक - 24.8.09


// संशोधन आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रं/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./03/2009/221 भोपाल दिनांक - 12.06.09 के सरल क्रमांक - 24 पर अंकित श्रीमती अमृता द्विवेदी, अध्यापक, शा.मा.शा. कोयलारी, जिला उमरिया को संविलियन हेतु जारी आदेश के कॉलम तीन में अंकित शाला शा. पूर्व मा.शा. बरा हरिहरपुर जिला पंचायत रीवा जिला रीवा में संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी।

उक्त आदेश में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एवं नगर पालिक निगम सिंगरौली जिला सिंगरौली द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 3878 दि. 10.10.08 के आधार पर आंशिक संशोधन करते हुये उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शाला शा.हाईस्कूल कचनी जिला सिंगरौली में रिक्त पद पर संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित की वरीयता संविलियन निकाय की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।


आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक - 24.8.09

संख्या क्रं/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./03/2009/548
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, उमरिया/सिंगरौली/रीवा, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उमरिया/सिंगरौली/रीवा, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, सिंगरौली जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, उमरिया/सिंगरौली/रीवा, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित श्रीमती अमृता द्विवेदी, अध्यापक, शा.मा.शा. कोयलारी, जिला उमरिया मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश